Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 67 /2024

Jabun Ram @ Jamun Ram .....Appellant

Versus

Md. Rasool & Ors. .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.12.2024	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर पूर्णिया द्वारा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद सं0–07/2022–23 मे दिनांक–12.06.2023 को पारित आदे" ा के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्ष उपस्थित। सुना। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पूर्णिया जिला के कसबा अंचल अंतर्गत मौजा–गुरही, थाना नं0–178, खाता–506, खेसरा–1927, रकवा–23 डी0, खाता–528, खेसरा–1926, रकवा–54½ डी0 कुल रकवा–77½ डी0 वादग्रस्त भूमि है। वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी को बन्दोबस्ती वाद संख्या–07/1993–94 द्वारा बन्दोबस्त की गई है। उक्त भूमि के भू–मालिक चुन्नी लाल साह है, जिनके विरूद्ध भू–हदबंदी की कार्यवाही चली थी तथा भूमि गजट संख्या–2960, दिनांक–03.11.1993 द्वारा अधिशेष होने पर अपीलार्थी को बन्दोबस्ती की गई थी। बन्दोबस्ती के उपरांत अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि का नामांतरण अपने पक्ष में कराकर वर्ष 2020–21 तक लगान रसीद प्राप्त किया गया है। इनका आगे कथन है कि उत्तरवादीगण बलशाली लोग हैं। उत्तरवादीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि से अपीलार्थी को बेदखल कर अवैध मकान बनाया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त बेदखली के विरूद्ध स्थानीय प्रशासन को अनेक आवेदन/परिवाद समर्पित किया गया, किन्तु उनके आवेदन पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई। उक्त से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में वाद दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के कागजातों की अनदेखी कर अतार्किक एवं अवैध आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा अपने आदेश में न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश का हवाला देकर बन्दोबस्त जमीन के विरूद्ध त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। स्वत्व वाद संख्या–403/1996 में दिनांक–23.11.1996 को पारित आदेश का गजट अधिसूचना संख्या–2960, दिनांक–03.11.1993 पर प्राथमिकता देकर गलत आदेश पारित किया गया है। उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त करते हुए अपील वाद को स्वीकृत करने की प्रार्थना अपीलार्थी द्वारा की गई है। क्रमशः दूसरी तरफ उत्तरवादी संख्या–01 के विद्वान अधिवक्ता का कथन	
	<u>लगातार</u>		

Web copy - Not official.

	30.12.2024	है कि प्रस्तुत अपील वाद उत्तरवादी संख्या–01 के विरूद्ध अपोषणीय है। मौजा–गुरही, थाना नं0–178, खाता–528, खेसरा–1926, रकवा–42 डी0 जिसे वादग्रस्त भूमि का अंश रकवा प्रदर्शित किया गया है। कभी भी कोई भू–हदबंदी वाद नहीं चला है तथा उक्त भूमि को कभी भी अधिशेष घोषित नहीं किया गया है। उक्त 42 डी0 जमीन सबजज, पूर्णिया द्वारा स्वत्व वा संख्या–403/1996 में पारित आदेश द्वारा उत्तरवादी संख्या–02 (मो0 मुस्ताक) को डिक्री से प्राप्त हुआ है। मो0 मुस्ताक द्वारा उक्त डिक्री के पश्चात प्रश्नगत जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार रहते हुए निबंधित केवाला–5269, दिनांक–09.06.1998 द्वारा उत्तरवादी संख्या–01 को भूमि बिक्री कर दी गई। तत्पश्चात उत्तरवादी संख्या–01 द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण अपने पक्ष में कराकर जमाबंदी–2433 सृजित हुई तथा लगातार लगान रसीद प्राप्त किया गया। उक्त खरीदगी के पश्चात उत्तरवादी संख्या–01 वर्ष 1958 में ही आवासीय मकान बनाकर अपने परिजनों के साथ प्रश्नगत जमीन पर निवास करने लगे। अपीलार्थी को उक्त खरीदगी भूमि का लाल कार्ड प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी द्वारा बिना किसी आधार के उत्तरवादी संख्या–01 के भूमि पर आधारहीन दावा प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रस्तुत अपील वाद में पक्षकार बनाया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यपरक एवं सही है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपील वाद को अस्वीकृत करने की प्रार्थना उत्तरवादी संख्या–01 द्वारा की गई है। उत्तरवादी संख्या–02 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील वाद कानून की दृष्टि से अपोषणीय तथा पक्षकार दोष से ग्रसित है। खाता–528, खेसरा–1926, रकवा–54½ डी0 भूमि उत्तरवादी संख्या–02 को भूधारी चुन्नी लाल साह एवं हसमुखी देवी, साकिन–मदारघाट, थाना–कसबा, जिला–पूर्णिया के विरूद्ध दायर स्वत्व वाद में दिनांक–23.11.1996 को डिक्री से प्राप्त है। जिसपर उत्तरवादी संख्या–02 शांतिपूर्ण दखलकार चले आ रहे हैं तथा अंचल से जमाबंदी संख्या–2301 कायम कराकर वर्ष–2021–22 तक राजस्व रसीद प्राप्त कर रहे हैं। उक्त खाता खेसरा का शेष रकवा–54½ डी0 पर उत्तरवादी संख्या–02 द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अन्य उत्तरवादीगण के द्वारा उक्त विवादित भूमि को लेकर सक्षम न्यायालय में दीवानी वाद दिनांक–03.04.2007 को दायर किया गया है, जिसका स्वत्व वाद सं0–03/2008 है, जिसमें अपीलार्थी पक्षकार है तथा उक्त स्वत्व वाद वर्तमान में लंबित है। उत्तरवादी संख्या–02 द्वारा उन्हें प्राप्त 54½ भूमि में 42 डी0 भूमि उत्तरवादी संख्या–01 को बिक्री विलेख कर दिया गया है, जिसमें उत्तरवादी संख्या–01 अंचल से जमाबंदी दर्ज कराकर रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। अपीलार्थी द्वारा जान–बुझकर उत्तरवादी संख्या–02 को परेशान किया जा रहा है। उत्तरवादी संख्या–02 द्वारा समर्पित लिखित बहस को स्वीकृत करते हुए अपील वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गई है। क्रमशः	
	<u>लगातार</u>		

Web copy. Not official.

	30.12.2024	उत्तरवादी संख्या–03 एवं 04 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील वाद अपोषणीय तथा पक्षकार दोष से ग्रसित है। अपीलार्थी का दावा है कि उनको वादग्रस्त भूमि Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of surplus land) Act. 1961 की धारा 27 के तहत लाल कार्ड द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त अधिनियम के आलोक में समाहर्त्ता के समक्ष अनुताष हेतु वाद दायर किया जाना चाहिए था, जिसके आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा वाद खारिज किया गया है। उत्तरवादी संख्या–03 एवं 04 खाता–506 खेसर संख्या–1927 से संबंधित नहीं है तथा उक्त खाता खेसरा की भूमि उत्तरवादी संख्या–05 की है। मौजा–गुरही, थाना नं0–178, खाता–528, खेसरा–1738, 1842, 1926, 1933, 1934, 1939, 1940, 1957, 1958, 2065, 2066, 2077, 2078, 2100, 2101, 2103, 2106, 2117, 2183, 2125, 2461, 2467,2481, 2483, 2565, 2645, 2646 रिविजनल सर्वे की कार्यवाही के दौरान मोहन लाल साह वो फकीर चाँद साह दोनां पिता–गोपाल साह(4 हिस्सा बा हिस्सा बराबर), किताब अली वो तस्लिम अली दोनों पिता–शेख मंचेत (2 हिस्सा) शेख पठान (1 हिस्सा) तथा खैरूनिशा वो पैनी दोनो पिता–शेख गबरन (1 हिस्सा) के नाम से दर्ज है। स्पष्ट है कि मोहन लाल एवं अन्य को आधा हिस्सा तथा शेख पठान एवं अन्य को आधा हिस्सा उक्त खाता खेसरा की भूमि से प्राप्त था। उत्तरवादी संख्या–03 एवं 05 द्वारा 6 विभिन्न केवाला द्वारा खाता–528 का 6 एकड़ 29 डी0 भूमि क्रय किया गया है। खाता–528 के अन्य भूधारी भोला साह एवं अन्य के विरूद्ध भू–हदबंदी वाद संख्या–09/73–74 की कार्रवाई प्रारंभ कर भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था। उक्त भू–हदबंदी वाद में त्रुटिवश शेख पठान एवं अन्य की भूमि से भी जोड़ दिया गया था, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। प्रश्नगत जमीन पर सबजज, पूर्णिया के न्यायालय में स्वत्व वाद संख्या–03/2008 विचाराधीन है। उत्तरवादी संख्या–03 एवं 04 खेसरा–1926, रकवा–54.5 डी0 के शांतिपूर्ण दखलकार है। प्रस्तुत अपील वाद के विषयवस्तु की भूमि पर स्वत्व वाद विचाराधीन है। उक्त स्थिति में इस न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित करना उचित नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपील वाद को निरस्त करने की प्रार्थना उत्तरवादी संख्या–03 एवं 04 द्वारा की गई है। उत्तरवादी संख्या–05 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी संख्या–05 के पिता–भूमिहीन थे तथा बसोबास की भूमि की तलाश में खेसरा–1927, रकवा–23 डी0 भूमि को जंगल काटकर बास योग्य वर्ष 1975 में उनके पिता द्वारा बनाया गया। तब से लेकर आज तक उत्तरवादी संख्या–05 एवं उनके पिता का उक्त भूमि पर दखल कब्जा है। उत्तरवादी संख्या–05 को उक्त भूमि का हरा कार्ड प्राप्त करना चाहिऐ था, किन्तु अनपढ़ एवं अज्ञानतावश उनके द्वारा दवा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अपीलार्थी का दावा है कि उनको उक्त भूमि लाल कार्ड से प्राप्त हुई है, उक्त स्थिति में अपीलार्थी को समाहर्त्ता के समक्ष अनुतोष हेतु वाद दायर करना चाहिए था। प्रश्नगत भूमि पर स्वत्व वाद की	
	<u>लगातार</u>	क्रमशः	

Web copy. Not official.

	30.12.2024	न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपील वाद को खारिज करने की प्रार्थना उत्तरवादी संख्या–05 द्वारा की गई है। उभय पक्षों को सुनने, अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत यह स्पश्ट होता है कि अपीलार्थी का दावा है कि उनको प्रश्नगत भूमि भू–हदबंदी वाद संख्या–07/1993–94 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उत्तरवादी संख्या–01 का दावा है कि प्रश्नगत जमीन पर माननीय सबजज प्रथम, पूर्णिया के न्यायालय में दायर स्वत्व वाद संख्या–403/96 पारित आदेश उनके विक्रेता को उक्त भूमि प्राप्त हुई थी। अन्य उत्तरवादीगण भी केवाला एवं दखल के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा प्रस्तुत कर रहे है, जिससे मामला अत्यंत जटील बन गया है। उत्तरवादी संख्या–03 एवं 04 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित अभिकथन में उल्लेख किया गया है। कि प्रस्तुत भूमि पर सबजज, पूर्णिया के न्यायालय में स्वत्व वाद–03/2008 विचाराधीन है, उक्त स्थिति में इस न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है। इसी के साथ अपील वाद को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदे" । की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web copy. Not official.